सी. आई. एस. एफ. पत्नियों एवं आश्रितों की जागरूकता के लिए आवश्यक सूचनाएँ एवं जानकारी:

1. क्या सेवा दस्तावेज़ों में पति का सही नाम अंकित है ?
2. पति का बल संख्या एवं पद क्या है ?
3. पति का वर्तमान वेतनमान क्या है ?
4. वर्तमान इकाई / वाहिनी, क्षेत्रीय मुख्यालय एवं सीमान्त कहाँ स्थित है ?
5. शादी के उपरान्त परिवार विवरण प्रपत्र सं०-3 में पत्नी का विवरण भरना अनिवार्य है। इसी प्रकार परिवार में बच्चे का जन्म होने पर प्रपत्र सं०-3 को पुन: भरकर जमा करना अनिवार्य है।
6. तैनाती वाली इकाई क्षेत्रीय मुख्यालय के पत्राचार का पता एवं फोन नंबर लिखकर रखें।
7. घर के निकटतम वाहिनी / फॉरमेशन के फोन नंबर व पता लिखकर रखें।
8. बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या एवं बैंक का पूरा पता व कस्टमर केयर नंबर लिखकर रखें।
9. सप्ताह में 05 दिन काम करने वाले कार्यालयों में वर्ष में 30 दिन अर्जित अवकाश, 8 दिन आकस्मिक अवकाश तथा सप्ताह में 06 दिन काम करने वाले कार्यालयों में वर्ष में 30 दिन अर्जित अवकाश, 15 दिन आकस्मिक अवकाश दिए जाने का प्रावधान है।
10. पति / पत्नी / परिवार के आश्रित के आकस्मिक रूप से बीमार होने पर तुरन्त ऑपरेशन व अन्य चिकित्सा पर आने वाले खर्च हेतु अनुमानित खर्च के आधार पर अग्रिम राशि दिये जाने का प्रावधान है। सी. आई. एस. एफ. कल्याण निधि से अंशदान आधार पर पर्याप्त निधि आधार चिकित्सालय में संरक्षित है।
11. सी. आई. एस. एफ. कार्मिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित, जिसका विवरण परिवार विवरण प्रपत्र सं०-3 में अंकित हो एवं जिसकी आयु 18 वर्ष से कम न हो, को नौकरी देने का प्रावधान है। अधिक आयु होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आयु में छूट दी जा सकती है।
12. सेवा के दौरान मृत्यु होने पर कर्मी के उत्तराधिकारी को जिसका नामांकन सेवा अभिलेख में दर्ज किया गया हो, निम्नानुसार राशि देने का प्रावधान है:-

    (क) कार्रवाई के दौरान मारे जाने पर : रु 15 लाख (रु 12 लाख उत्तराधिकारी को एवं रु 3 लाख माता/पिता को)

    (ख) अन्य/सामान्य मृत्यु होने पर : रु 8 लाख (रु 6 लाख उत्तराधिकारी को एवं रु 2 लाख माता/पिता को)

आपका उत्तरदायित्व है कि अपने जीवनसाथी से बात कर निम्न के विषय में सत्यापन करा लें:

1. सुनिश्चित करें कि आपका नाम सेवा पुस्तिका में अंकित है।
2. आपको सेवा पुस्तिका में उत्तराधिकारी (एनओके) नामांकित किया गया है।
3. आपके बच्चों के नाम व जन्म तिथि को परिवार विवरण प्रपत्र सं०-3 / सेवा पंजिका में नामांकित किए गए हैं।
4. आपका अपने पति के साथ संयुक्त फोटो पुस्तिका (फार्म सं०-03) में लगा है।
5. अपने स्थायी निवास स्थान पर संयुक्त बैंक खाता खोलें।
6. आपको सामूहिक बीमा योजना एवं भविष्य निधि के लिए उत्तराधिकारी नामांकित किया गया है।
7. सुनिश्चित करें कि आपके साथी द्वारा संचालित सभी बैंक खातों व बीमा पॉलिसी में आपको उत्तराधिकारी नामांकित किया जा चुका है।

Important Information for CISF Wives and their Dependents:

1. Is your husband's correct name entered in the Force Documents ?
2. What is the Force No. and Rank of your husband ?
3. What is your husband's current pay ?
4. What are the locations of present Unit/Battalion, Zonal & Sector HQrs ?
5. Filling of family details Form No. 3, entering there in wife's name in service records after marriage is mandatory. Similarly Form No.3 is to be filled again after the birth of every child.
6. Keep the address and phone number of the current Unit/Battalion, Zonal & Sector HQrs noted in your phone diary.
7. Also keep the address and phone no. of the Unit/Battalion nearest to your house.
8. Keep the name of the Bank, Branch Full Address, Account No. and Customer Care Number.
9. Personnel working 05 days a week entitled to avail 30 days EL and 08 days CL and personnel working 06 days a week are entitled to avail 30 days EL and 15 days CL.
10. In case of husband/wife/family member getting sick and in need of any emergency operation or admission in hospital in emergency, then the money so spent is reimbursable as per rules. Sufficient amount is placed at the disposal of Base Hospital subscribed from CISF Welfare Fund.
11. There is provision of Govt. job for dependents of the CISF personnel died during service, provided his name is entered in Form No. 03 and he/she is over 18 years of age. There is a provision of relaxation in upper age limit if the age of applicant is higher than expected.
12. In case of death of a Force personnel in service, his/her nominated NOK in service records is entitled for the following :-

    Killed in Action : Rs. 15 lakhs (Rs. 12 lakhs to the NOK and Rs. 3 lakhs to the parents)

    Other Death : Rs. 8 lakhs (Rs. 6 lakhs to the NOK and Rs. 2 lakhs to the parents).

It is your responsibility to verify that your husband has completed the following activities:

1. Ensure that your name is included in the service book.
2. Your name has entered as NOK in the service record.
3. The names and DOB of your children are filled *via* Form No. 03 and entered into service book.
4. A combined photo with your husband has been placed in the Service Book (Form No. 3).
5. Open joint bank account at your native place.
6. You have been named as NOK for the joint LIC Policy and Joint Account.
7. Ensure that you have been named NOK for all bank accounts and Life Insurance Policies of your husband.

पत्नी के कानूनी अधिकारः-

1. अपने वैवाहिक जीवन के दौरान अपने पति को दूसरी शादी की अनुमति न दें।
2. बल में सेवा के दौरान यदि सी. आई. एस. एफ. सदस्य पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करता है तो सी. आई. एस. एफ. एक्ट एंड रुल्स 2001 के अंतर्गत उसे सेवा से हटाने का प्रावधान है।
3. सरकारी सेवा में रहते हुए सरकारी कर्मचारी दहेज की माँग नहीं कर सकता है। यह आरोप सही सिद्ध होने पर सजा का प्रावधान है।
4. निम्नलिखित कारणों से आप पति से तलाक मांग सकती हैं:-
   (क) यदि आपसे दुर्व्यवहार करता है।
   (ख) पति विवाहेत्तर संबंध रखता है।
   (ग) आपकी और आश्रितों की देखभाल ठीक प्रकार से न करता हो।

Legal Rights of the Wife:-

1. Do not give your husband the right to marry again while he is still married to you.
2. If any force personnel remarries while his first wife is still alive and without her written consent, then according to CISF Act and Rules, 2001, he can be terminated from service.
3. A government servant cannot demand dowry. It is a punishable offence, if found guilty.
4. You can claim divorce in case of the following :-
   a) If your husband misbehaves with you.
   b) If your husband is having an extra marital affair.
   c) If he is not taking care of you and your children.